न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 62/2022
GCMS Case No. 2022/196

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली		मोहम्मद आसीफ पुत्र मोहम्मद हाजी जाति छीपा मुसलमान निवासी कृषि मण्डी के सामने महावीर कॉलोनी सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20-10-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 05.08.2022 को गैरसायल मोहम्मद आसीफ पुत्र मोहम्मद हाजी जाति छीपा मुसलमान निवासी कृषि मण्डी के सामने महावीर कॉलोनी सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा **2(ख)(5)** के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सुमेरपुर क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, एवं आदतन जुआरी है। जिसके खिलाफ 2021 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। दोनो प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	मु0न0/दिनांक	धारा	नाम थाना	चालान नं0/दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	133/05-03-2021	13 आरपीजीओ एक्ट	सुमेरपुर	48/18.03. 2021	दिनांक 09.04.2021 को एसीजेएम कोर्ट सुमेरपुर से 200 रूपये जुर्माना
2	208/24-04-2021	13 आरपीजीओ	सुमेरपुर	80/30.04. 2021	दिनांक 07.07.2021 को एसीजेएम कोर्ट सुमेरपुर से 200 रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मोहम्मद आसीफ पुत्र मोहम्मद हाजी जाति छीपा मुसलमान निवासी कृषि मण्डी के सामने महावीर कॉलोनी सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली जुऐ के धंधे में लिप्त है, एंव जुआ खेलने एवं खिलाने के लिए प्रेरित करने से आम लोगो पर गलत प्रभाव पड रहा है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा **2(ख)(5)** राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना सुमेरपुर का अव्वल दर्जे का जुआरी है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध एसीजेएम कोर्ट सुमेरपुर के मुकदमा नम्बर 388/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2021 को आदेश पारित करते हुए 13 आर पी जी ओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 662/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2021 को आदेश पारित करते हुए 13 आर पी जी ओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 800/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मोहम्मद आसीफ पुत्र मोहम्मद हाजी जाति छीपा मुसलमान निवासी कृषि मण्डी के सामने महावीर कॉलोनी सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सुमेरपुर से निष्काषित कर पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 05/11/22 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी कोतवाली सिरोही जिला सिरोही गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मोहम्मद आसीफ इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर, गैरसायल मोहम्मद आसीफ को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी कोतवाली सिरोही जिला सिरोही उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सुमेरपुर अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर एवं थानाधिकारी सिरोही जिला सिरोही को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-10-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली